

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, एड सिणधरी)

प्रकरण सं.:-129/2018

दिनांक:- 20.6.18

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1753

आदेश

वादी के वादपत्र एवं पटवारी एड सिणधरी व भू.अ.नि. पायलां कलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम एड अमरसिंह तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या 9 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि जोगाराम पुत्र हनुमानराम के स्थान पर जोगाराम उर्फ जोगेन्द्र कुमार पुत्र हनुमानराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 20.6.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1754-56

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री जोगाराम उर्फ जोगेन्द्र कुमार पुत्र हनुमानराम निवासी एड अमरसिंह तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी